


78

185

निगा-5290/2018/सतना/भूशु

न्यायालय, माननीय सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर,
सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)



श्रीमती रुक्मिणी पाण्डेय पत्नी श्री धर्मदत्त पाण्डेय, निवासी ग्राम-मैनहा,
तहसील उँचेहरा, जिला-सतना (म0प्र0)

—आपत्तिकर्ता/आवेदिका

बनाम

नरोत्तम गर्ग तनय विष्णुदत्त गर्ग, निवासी ग्राम-मैनहा, तहसील
उँचेहरा, जिला-सतना (म0प्र0)
शासन मध्यप्रदेश, जरिए राजस्व निरीक्षक वृत्त लगरगवाँ, तहसील
उँचेहरा, जिला-सतना (म0प्र0)

—अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब
तहसीलदार उँचेहरा वृत्त लगरगवाँ,
जिला-सतना (म0प्र0) के राजस्व प्रकरण
क्र. 58/अ-12/2017-18 आदेश दिनांक
06.08.2018

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0
भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य निम्नलिखित हैं :-

यह कि आराजी नं. 146/1 रकवा 0.711 हे. एवं आराजी नं.
162/2 रकवा 0.261 हे. स्थित मौजा मैनहा, तहसील उँचेहरा
जिला-सतना (म0प्र0) का भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी अनावेदक क्र. 1
है तथा आराजी नं. 145/1 रकवा 0.745 हे. स्थित मौजा मैनहा तहसील
उँचेहरा जिला-सतना (म0प्र0) की भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी


78

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सतना

क्रमांक निग05290 / भू-रा0 / 2018 / सतना

रूक्मिणी पाण्डेय / नरोत्तम गर्ग

(1)	(2)	(3)
23.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री छत्रपाल सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त लगरगवां, तहसील उचेहरा के प्रकरण क्रमांक 58/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश के विरुद्ध सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 11.06.19 को अनुविभागीय अधिकारी, तहसील ऊचेहरा, जिला सतना के समक्ष उपस्थित हो।</p>	<p> (बी.एम.शर्मा), सदस्य</p>